Regarding Reservation for group B and C post to the locals residents of Andaman & Nicobar Islands

श्री बिष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) **:** माननीय सभापति महोदया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यशस्वी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने द्वीप समूह के लिए बहुत सारा काम किया है । एक अनुरोध है, वर्ष 1984 से अंडमान निकोबार स्थानीय आवास के आधार पर ग्रुप बी और ग्रुप सी की नौकरी मिलती थी । वर्ष 1990 में सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद कानूनी मंजूरी नहीं मिलने के कारण आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ग्रुप बी और सी में एंट्री के लिए बाहर से लोग आ रहे हैं । अंडमान में बाहर के लोगों की भर्ती हो रही है ।

मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि अंडमान निकोबार में लद्दाख की तरह कानून बनाया जाए । लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट वर्ष 2021 में बनाया गया था, इसी तरह का कानून अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए भी बनाया जाए । ऐसा ही कानून कश्मीर में बनाया गया, नागालैंड में बनाया गया और लद्दाख में भी बनाया गया । अंडमान में ग्रुप बी और सी की नौकरी अंडमान के बच्चों को मिले । जय हिन्द, भारत माता की जय ।